संख्या-26/2021/265/26-3-2021-44(विविध)/2017

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक: 02 मार्च 2021

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत संचालित संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु बजट प्राविधान के सापेक्ष अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के प्रभावी क्रियान्यन एवं अनुश्रवण हेतुवित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-239/32/ज0जा0वि0/2020-21, दिनांक-20.01.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत संचालित संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु बजट प्राविधान के सापेक्ष अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम- 2006 के प्रभावी क्रियान्यन एवं अनुश्रवण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-02-796- 01-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुदान-42-अन्य व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रू0-52.30 लाख के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी **धनराशि रू0-20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र)** की स्वीकृति वनाधिकार अधिनियम-2006 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु निर्गत किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, जनजाति विकास का होगा।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विद्यमान नियमों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व महालेखाकार को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(3)-धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नही रखी जायेगी।

(4)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(5)-जिस मद में धनराशि अन्तरित की जा रही है, उस मद में धनराशि की उपलब्धता निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(6)-स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7)-यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-24 मार्च 2020, 11 अप्रैल, 2020, 18 मई, 2020 तथा 29 सितम्बर, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशांे का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुदान-42-अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या वित्त ई-4-96/दस/2021, दिनांक-08 फरवरी, 2021 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृसं0-26/2021/265(1)/26-3-2021 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
5- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, एन0आई0सी0, लखनऊ।
7- गार्डफाइल

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।